"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 14, शक 1927

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क्रमांक 64/स्था./2004/1742.—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 154/सी. जी. एच./2005-पी. एडम/4091 दिनांक 1-7-2005 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, पदेन संयुक्त सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 1 जुलाई, 2005—10 आषाढ, 1927 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/सी. जी. एच./2005-का. प्रशासन.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री बी. एल. अग्रवाल आई. ए. एस. (सी.जी. 1988) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे.

3. श्री बी. एल. अग्रवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(स्टेन्डहोप युहलुंग),
अवर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 1st July, 2005—10 Asadha, 1927 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/CGH/2005-P. Admn—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby nominates Shri B. L. Agrawal, IAS. (CG : 1988) as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri B. L. Agrawal shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Chhattisgarh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri B. L. Agrawal while functioning as the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Chhattisgarh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

Sd/-
(STANDHOPE YUHLUNG)
Under Secretary.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 64/स्था./2004/1742.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के रूप में कार्य करते हुए सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उनके वर्तमान पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, पदेन संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.